

औद्योगिक प्राधिकरणों में भवनों की ऊंचाई को लेकर पाबंदियों में दी जाएगी ढील

राष्ट्र जागरण ● लखनऊ: सरकार जल्द ही सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियमों में एकरूपता लाने के लिए एकीकृत माडल भवन विनियम-2026 को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति ने इस संदर्भ में गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा व तमिलनाडु की नीतियों का अध्ययन कर इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लागू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहित अन्य प्राधिकरणों के क्षेत्रों में औद्योगिक भवनों के निर्माण के नियमों में एकरूपता आएगी। खास बात यह है कि अब सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बहुमंजिला औद्योगिक भवनों का निर्माण आसानी के साथ किया जा सकेगा।

- औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष एकीकृत माडल भवन विनियम 2026 का हुआ प्रस्तुतीकरण
- सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बढ़ाया जाएगा एफएआर

मसौदे में ये है खास

- सड़क की चौड़ाई के आधार पर अनुमेय एफएआर को बढ़ाया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफएआर की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- निर्धारित सीमा तक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार नक्शों के आधार पर डीमड स्वीकृति का प्रविधान किया गया है।
- पुराने भवनों में कंपाउंडिंग, एडिशन एवं आल्टरेशन पर भी नए नियम लागू होंगे।

मंगलवार को पिकप भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' के समक्ष एकीकृत माडल भवन विनियम-2026 के

मसौदे का प्रस्तुतीकरण हुआ। नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के अधिकतम उपयोग के लिए वर्टिकल निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। भवनों की ऊंचाई को लेकर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। सड़क की चौड़ाई के हिसाब से एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को बढ़ाया जा सकेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए फ्लैटेड फैक्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकेगा। अधिकतम 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों, अधिकतम 30 वर्ग मीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों व 15 मीटर की ऊंचाई वाले भवन के निर्माण के लिए एक रुपये पंजीकरण शुल्क देकर स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि मसौदे को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।

विस्तृत खबर
पढ़ने के लिए
स्कैन करें
क्यूआर

